डॉ॰ रंजीत कुमार
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
एच॰ डी॰ जैन कॉलेज, आरा

Notes for- B.A. Part-III, Paper-V

Topic- **शेरशाह का शासन**:- सूर राजवंश के संस्थापक शेरशाह का असली नाम फरीद था। उसने अपने जीवन की शुरूआत अपने पिता हसन के दक्षिण भारत के सहसराम (सासाराम) में स्थित इक्ता के प्रशासन की देखरेख से की थी। बाद में वह बिहार के अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद नुहानी के दरबार में गया, जिसने उसे उसकी बहादुरी के लिए 'शेरखान' की उपाधि दी।

शेरशाह को इस बात की जानकारी मिली कि मारवाड़ के शासक से मदद के लिए हुमायूँ की बातचीत चल रही है, किंतु इस बीच मालवा पर अफगानी आक्रमण के भय से राजपूत राजा डर गया और उसने हुमायूँ को मदद देने का इरादा भी बदल दिया।

जब शेरशाह ने मारवाड़ के तरफ कूच किया, तो ये राजा डर से वहाँ से भाग गया किंतु उसकी सेना ने जबरदस्त लड़ाई की। शेरशाह यहाँ विजयी हुआ, किंतु वह हमेशा कहता रहता था कि एक छोटी सी टुकड़ी के कारण हिन्दुस्तान को लगभग गवाँ चुका था।

शेरशाह ने मालवा से लेकर मारवाड़ तक किलों की एक श्रृंखला पर फतह की, किंतु कालिंजर का शासक जो हुमायुँ के प्रति सहानुभूति रखता था, डटा रहा। अतः शेरशाह ने आक्रमण का निश्चय किया। किंतु एक हादसे में वह बुरी तरह जल गया और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह

⟶

→ शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके दूसरे बेटे जलाल खाँ ने इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी संभाली। इस्लाम ने उन अफगान नेताओं के वर्चस्व को तोड़ने के साथ शुरुआत की, जिनको उसके पिता ने ही बढ़ावा दिया था। किंतु 1552 में ही एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु ने प्रशासन को अस्त-व्यस्त कर दिया। दिल्ली पर हुमायूँ के कब्जे से पहले तीन सूर शासक गद्दी पर बैठ चुके थे। परंतु इस दौरान असली शक्ति एक ब्राह्मण नायक हेमू के हाथों में थी। सूर साम्राज्य 1540 - 1555 तक रहा।

सूर प्रशासन :-

A. केन्द्रीय प्रशासन :- (i) निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था
(ii) मंत्रियों को कोई भी वास्तविक अधिकार नहीं।
(iii) सुल्तान द्वारा लगातार निरीक्षण
(iv) इसका मुख्य दोष अत्यधिक केन्द्रीकरण था।

B. प्रांतीय प्रशासन :- (i) प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी काफी कम मिलती है।
(ii) प्रांतीय प्रशासन में शेरशाह ने दो प्रयोग किये।

(C) स्थानीय प्रशासन :- (i) प्रांतों का विभाजन सरकारों में, जो शिकदार-ए-शिकदरान (न्याय और कानून व्यवस्था, आम प्रशासन) और मुंसिफ-ए-मुंसिफान (स्थानीय करों और दीवानी मामले) के अधीन थे।
(ii) सरकारों का विभाजन परगना में था, जो शिकदार (कानून-व्यवस्था, फौजदारी इत्यादि) के अंतर्गत थे तथा मुंसिफ-

अथवा अमीन (भू-राजस्व और दीवानी मामले)।

(iii) परगनाओं का विभाजन आनों में था, जो ग्राम प्रधान के अन्तर्गत थे। और अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की देख-रेख स्थानीय लोगों के जिम्मे होती थी।

(iv) दो लोगों को एक समान पद (परगना और सरकार स्तर पर) पर नियुक्त करके शेरशाह ने कार्यकारिणी का विभाजन किया और अधिकारों का बँटवारा किया।

(v) सरकार और परगना के ~~अधिकारियों~~/अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदच्युत करने के अधिकार पास रखे।

(D.) राजस्व प्रशासन :- (i) भू-राजस्व का अंकन जमीन की नाप के अनुसार होता था।

(ii) फसलों का निर्धारण और उनकी दर जमीन की उपज के अनुसार थी।

(iii) उपज के अनुसार जमीन का तीन (अच्छी, बुरी, मध्यम) प्रकार से वर्गीकरण किया गया।

(iv) तीनों वर्गों की फसलों को अंकित करके उनके औसत का एक-तिहाई भू-राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया।

(v) किसानों को पट्टे बाँटे जाते थे और उनमें कबूलियत लिखवाई जाती थी।

(vi) प्रति बिघा/बीघा ढाई सेर की एक चुंगी अकाल राहत सेवा कोष के लिए वसूली की जाती थी।

(E.) सैनिक प्रशासन :- (i) कबाइली सेना पर निर्भरता छोड़ सैनिकों की सीधी नियुक्ति की शुरुआत की गई।

→ (ii) चेहरा (सैनिकों के विवरण) और दाग प्रथा (घोड़ों पर निशान) का चलन था।

(iii) विभिन्न जगहों पर सैनिक पड़ाव थे और प्रत्येक में एक सैन्य टुकड़ी होती थी।

(F.) व्यापार और वाणिज्य:-

(i) नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई।

(ii) यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे पर सरायों का निर्माण कराया ताकि व्यापारियों को सुविधा हो। सरायों के आस-पास कस्बा (बाजार) के रूप में गाँवों का निर्माण और उनका विकास, विकास किया गया। सरायों का प्रयोग समाचारों के लिए भी होता था।

(iii) स्वर्ण मुद्राओं का चलन, एक ही स्तर के चाँदी और ताँबे के सिक्के, नाप-तोल का समानीकरण जैसे कदम उठाये गए।

(iv) अन्य सुधारों में → खानों पर सिर्फ दो बार सीमा शुल्क वसूली (एक बार राज्य में प्रवेश के समय और दूसरा बिक्री के समय) व्यापारियों के सामान की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और जमींदारों पर होती थी।